7

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 233/1–18–2017/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 8-8-2017

विषयः प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं0–158/1–18–2014/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 27–3–2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण वितरण से तहसीलों में प्राप्त हो रहे प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। उपरोक्त परिषदादेश के साथ संलग्न दिशा–निर्देश/संलग्नकों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है–

1. शासन की अधिसूचना सं0–1748/1–4–08–134 बी–4/2002, दिनांक 01 जुलाई 2009 द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009" व उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन नियमावली), 2012 द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण जारी करने से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी कार्यों पर किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

2. उपर्युक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 के नियम–6 (3) के द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण हेतु रूपये 15/–की धनराशि निर्धारित की गयी है तथा नियम–6 (4) के अन्तर्गत उक्त धनराशि को राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर के रख–रखाव व अद्यतनीकरण पर व्यय करने की व्यवस्था दी गयी है। तद्क्रम में परिषद द्वारा परिषदादेश सं0–996/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 27–09–2005, सं0–446/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 03–03–2006, सं0–2105/क0सेल/10/2004, दिनांक 27–12–2007, सं0–796/क0सेल/18/2004, दिनांक 01–04–2008, सं0–241/1–18–2008/क0सेल/10/2004 टी0सी0–1, दिनांक 22–4–2008, सं0–331/1–18–2008/क0सेल/10/2004, दिनांक 6–5–2008, सं0–827/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2, दिनांक 25–6–2009, सं0–1494/1–18–2008/क0सेल/32/2008, दिनांक